न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : ओ.पी. बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 17/2017 (प्रा.प. आवंटन निरस्त)
RCMS NO : 2017/00045

अनवान

1. श्री अमृतलाल पिता दीपा भगोरा, निवासी कांकण, दामा तालाब, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर।

– प्रार्थी

बनाम

1. श्री पूंजा पिता दीपा मीणा, निवासी दामा तालाब, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर।
2. सरकार जरिये तहसीलदार ऋषभदेव, जिला उदयपुर।

– विपक्षीगण

उपस्थित

1. श्री हर्षद जोशी, अधिवक्ता प्रार्थी।

प्रार्थनापत्र अंतर्गत नियम 14 (4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 बावत आवंटन निरस्त कराये जाने

* निर्णय *

दिनांक 31-01-2020

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 प्रस्तुत किया कि प्रार्थी के कब्जे एवं आधिपत्य की कृषि भूमि राजस्व ग्राम दामा तालाब, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर मे आराजी संख्या 2091/1268 रकबा 0.5000 हेक्टेयर स्थित है, जिस पर प्रार्थी का अपने पूर्वजों के समय से कब्जा काश्त चला आ रहा हैं एवं प्रार्थी द्वारा मकान बना होकर परिवार सहित निवास कर रहा हैं, इसके बावजूद विपक्षी संख्या 2 द्वारा मौके की वस्तुस्थिति का अवलोकन किये बिना उक्त भूमि का आवंटन विपक्षी संख्या 1 के पक्ष मे कर दिया। विपक्षी संख्या 1 द्वारा आवंटन शर्तो की पालना न करने से उक्त भूमि वर्तमान मे भी विपक्षी संख्या 1 के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज रेकर्ड हैं। कथित भूमि के आवंटन हेतु आवेदन पत्र भी वास्तविक रूप से प्रार्थी के पूर्वाधिकारी एवं पिता श्री दीपा पिता हकसी द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसमे दीपा पिता हकसी का नाम काटकर विपक्षी संख्या 1 पूंजा पिता दीपा द्वारा स्वयं के नाम से आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया। आवंटन वर्ष 1992 मे होने के बावजूद भी आवंटित रकबे को कब्जे मे लिये जाने बाबत विपक्षी संख्या 1 द्वारा कभी मांग नहीं की गई। वर्तमान में भूमि की कीमत में बढोतरी होने के कारण विपक्षी संख्या 1 द्वारा भूमि पर कब्जा प्राप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है। आवंटन से पूर्व नियम 7 के तहत उद्घोषणा पत्र भी जारी नही किये गये एवं न ही नियम 8, 9 व 10 की पालना की गयी है। इस प्रकार उपखण्ड अधिकारी सलुम्बर, जिला उदयपुर द्वारा विपक्षी संख्या

1 के पक्ष में किया गया आवंटन विधि विरूद्ध होने एवं आवंटन उपरान्त आवंटन शर्तो की पालना न करने से निरस्त किया जावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये एवं अपना पक्ष एवं प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया। विपक्षीगण के पक्ष में जारी नोटिस बाद तामिल प्राप्त होने के उपरान्त विपक्षी संख्या 1 को पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब अप्राप्त रहने से प्रकरण मे जवाब विपक्षी संख्या 1 बंद किया गया।

प्रकरण में विवादित आराजीयात के सम्बन्ध में विपक्षी संख्या 2 तहसीलदार ऋषभदेव, जिला उदयपुर से मौका रिपोर्ट प्रात की गयी। तहसीलदार ऋषभदेव द्वारा अपने पत्र क्रमांक 1101 दिनांक 13.09.2018 द्वारा प्रकरण में प्रेषित मौका रिपोर्ट में न्यायालय को अवगत कराया कि मौजा दामा तालाब, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर की विवादित हाल आराजी संख्या 2091/1268 रकबा 0.5000 हेक्टेयर भूमि राजस्व रेकर्ड में विपक्षी संख्या 1 श्री पूंजा पिता दीपा मीणा के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज रेकर्ड है। मौके अनुसार उक्त आराजीयात के दक्षिण की तरफ पत्थरों से मेडबन्दी प्रार्थी श्री अमृतलाल पिता दीपा द्वारा की गयी है एवं मौके अनुसार किसी प्रकार काश्त नही है। उक्त आराजी में अमृतलाल पिता दीपा भगोरा का सटा हुआ मकान होकर मौके पर सागवान के वृक्ष लगे हुये है एवं मौके पर कब्जा प्रार्थी का ही है। तहसीलदार ऋषभदेव से प्रकरण में मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर उपखण्ड अधिकारी सलुम्बर से आवंटन से सम्बन्धित मूल पत्रावली संख्या 399/1992 तलब की जाकर प्रकरण में बहस हेतु तिथि नियत की गयी।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित हुये। प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस प्रारम्भ करते हुये अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मौके पर प्रार्थी का पुराना कब्जा होना, मकान बना होना, आवंटन हेतु आवेदन पत्र पर विपक्षी संख्या 1 द्वारा पूर्वाधिकारी का नाम हटाकर स्वयं का नाम अंकित करना, आवंटन शर्तो की पालना न होना, विपक्षी संख्या 1 का वर्तमान में गैर खातेदार होना आदि आधारो पर विपक्षी संख्या 1 को किया गया आवंटन निरस्त किये जाने की मांग की।

हमने प्रार्थी अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, मौका रिपोर्ट, उपखण्ड़ अधिकारी से प्राप्त आवंटन पत्रावली आदि का आवलोकन किया एवं वर्णित तथ्यों पर गम्भीरता से मनन किया। उपखण्ड़ अधिकारी सलुम्बर से प्राप्त मूल आवंटन पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मौजा दामा तालाब, तहसील ऋषभदेव की साबिक आराजी संख्या 1268 रकबा 0.5000 हेक्टेयर किस्म बारानी तृतीय भूमि के आवंटन हेतु विपक्षी संख्या 1 द्वारा आवेदन करने पर पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट उपरान्त विपक्षी संख्या 1 को आवंटन किया गया है। प्रकरण में आवंटन हेतु आवेदन पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि है कि पूर्व में आवेदन दीपा पिता हकसी द्वारा किया गया है, जिसके नाम को काटकर बाद में विपक्षी संख्या 1 श्री पूंजा पिता दीपा के नाम से आवेदन भरा गया है। आवंटन कमेटी के निर्णय में विकास अधिकारी एवं क्षेत्रीय विधायक के हस्ताक्षर मौजूद है, किन्तु भूमिधारी तहसीलदार खेरवाडा की मात्र मोहर लगी हुयी है, जिस पर भूमिधारी तहसीलदार के हस्ताक्षर

उपलब्ध नही है। इसके अतिरिक्त आवंटन आदेश पर भी उपखण्ड अधिकारी के हस्ताक्षर मौजूद नही है। इस प्रकार उक्त आवंटन प्रारम्भ से ही त्रुटिपूर्ण होना प्रथम दृष्टया जाहिर होता है। आवंटन उपरान्त आवंटन शर्तो की पालना न करने के फलस्वरूप विवादित आराजीयात वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज रेकर्ड है। इस प्रकार समग्र तथ्यों पर विवेचन उपरान्त विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4), कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 स्वीकार किया जाकर मौजा दामा तालाब हाल तहसील ऋषभदेव की साबिक आराजी संख्या 1268 रकबा 0.5000 हेक्टेयर भूमि पर उपखण्ड अधिकारी सलुम्बर द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है। प्रकरण में तहसीलदार ऋषभदेव, जिला उदयपुर को निर्देश दिये जाते है कि भूमि को राजस्व रेकर्ड में बिलानाम सरकार दर्ज करा मौके से विपक्षी संख्या 1 को बेदखल करने की कार्यवाही करे।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(ओ.पी. बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2020.02.03 12:51:07 IST
Reason: SelfAttested
Location: